तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/25	पत्रावली पेश, डॉ / वकलान उपस्थित / पत्रावली कार्यवाहीवार आगामी तारीख पेशी दिनांक 07/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
7/1/25	पत्रावली पेश, हुई। वकील प्रार्थी उप० तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी का पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
16/1/25	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो।	
20/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रार्थना-पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व वकील प्रार्थी का पक्ष मनन किया गया। प्रार्थना पत्र काबिल मंजूरी और स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार रसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0——222/2024

प्रविष्टि दिनांक——18.6.2024

उनवान

द्वारिका देवी पत्नी कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण निवासी कस्बा निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक, राजस्थान

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित–1. श्री सीताराम शर्मा–वकील प्रार्थी
वकील पैरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत शीट दुरूस्ती

दिनांक–20-01-25

प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ख.न. 5023/2 रकबा 0.1897 है0 , ख.न. 5024/2 रकबा 0.4300 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। इस भूमि की प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है। वर्तमान मे नक्शा शीट कम्प्यूटरराईज्ड होने के कारण नक्शा शीट मे रोड अंकित नही है और प्रार्थी का रकबा क्षेत्रफल एवं सडक का क्षेत्रफल दोनो ही गलत अंकित है। इसलिए उक्त भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा शीट दिनांक 18.3.2021 में रिकार्ड और मौके के अनुसार दुरूस्त की जावें।

इसके पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण के साथ साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी, पुरानी नक्शा शीट आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब मे अंकितानुसार प्रार्थना पत्र के प्रथम चरण को स्वीकार करते हुए अंकित किया कि वाके ग्राम कस्बा निवाई संवत 2070–2073 के खाता सं0 64 मे भूमि ख.न. 5023/2 रकबा 0.1897 है0 , ख.न. 5024/2 रकबा 0.4300 है0 किता–2, कुल रकबा 0.6197 है0 भूमि द्वारका देवी पत्नी कन्हैयालाल कोम ब्राहमण के नाम रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक संलग्न नक्शा ट्रेस एवं ऑन लाईन मेप के अनुसार दोनो शीट मे विरोधाभास है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार है। वर्तमान नक्शा शीट ऑनलाईन मे खसरा नंबर 5023, 5024 मे से एन एच –12 (गै.मु. सडक) का अंकन नही है। अतः मुताबिक नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि प्रस्तावित है। पैरोकार सरकार द्वारा मूल खसरा नंबरो की शुद्धि प्रस्तावित की गई है जो निम्न प्रकार है।

मूल खसरा नंबर	रकबा(है0 मे)	ख.न.	रकबा	किस्म
5023	0.8346	5023/1	0.5311	गै.मु. सडक
		5023/2	0.1011	खातेदारी वादी
		5023/3	0.1138	राजेन्द्र कुमार
		5023/4	0.0886	नव सृजित ख.न. वादी
		योग–4	0.8346	
5024	0.5442	5024/1	0.1012	गै.मु. सडक
		5024/2	0.4148	खातेदारी वादी
		5024/3	0.0282	नव सृजित ख.न. वादी
		योग–3	0.5442	

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन किया तथा पैरोकार सरकार की रिपोर्ट पर मनन किया। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट एवं पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम मे काफी भिन्नता है। नक्शा ट्रेस अनुसार गै.मु. सडक ख.न. 5023 व 5024 के मध्य से निकल रही है जबकि नवीन ऑन लाईन नक्शा ट्रेस मे सडक की कोई तरमीम नही है। संभवतः उक्त त्रुटि ऑन लाईन मैपिंग के दौरान हुई है जो तकनीकी त्रुटि है। इस प्रकार नवीन तरमीम शुद्धि योग्य है। इस प्रकार की त्रुटियों को दुरूस्त करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार भी मानचित्र मे पाई गई गलतियो को दुरूस्त किये जाने का अंकन है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे भी मानचित्र मे हुई तरमीमी त्रुटि से अवगत कराया है। त्रुटि के कारण भविष्य मे होने वाले विवादो से बचने के लिए त्रुटि को इस समय सुधारा जाना आवश्यक है। सेग्रीगेशन के पश्चात भी तरमीम पूर्व की भांती यथावत रहनी चाहिए थी। इसलिए उक्त परिवर्तन त्रुटिपूर्ण है जो कि सेग्रीगेशन के दौरान होने की संभावना है। नक्शा शीट व जमाबंदियो मे सेग्रीगेशन के दौरान अनेक त्रुटिया सामने आई है। त्रुटियो की अधिकता के कारण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 3685 दिनांक 6.10.2021 मे वर्णितानुसार राजस्व सेग्रीगशन नक्शा प्राप्त होने के पश्चात मिलान करने पर खसरा नंबर /तरमीम जैसी अशुद्धिया आ रही है जिसे सही करवाया जाना आवश्यक है। उक्त शुद्धियो को धारा 136 के तहत करवाये जाने पर उक्त प्रकिया जटिल होने के कारण समस्याओं को सामना करना पड रहा है। जमाबंदी मे लिपिकीय त्रुटि होने से शुद्धि किये जाने का राजस्थान भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 मे प्रावधान है तथा नक्शो मे खसरा नंबर /तरमीम जैसी अशुद्धियो को शुद्ध करने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अतः अधिनियम के उक्त प्रावधानो के एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र के आलोक मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती शीट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान शीट मे गलत रूप से हुई हाल ख.न. 5023/2 रकबा 0.1897 है0, ख.न. 5024/2 रकबा 0.4300 है0 वाके ग्राम कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम को शुद्ध किया जाकर, राजस्व नक्शा शीट व राजस्व रिकॉर्ड में नव सृजित ख0नं0 5023/4 रकबा 0.0886 है0 व ख0नं0 5024/3 रकबा 0.0252 है0 तरमीम का अंकन करने की कार्यवाही करे, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 20-01-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई